एमएनएच शक्ति लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

एमएनएच

15वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2022-23

पंजीकृत कार्यालय : आनंद विहार, डाकघर – जागृति विहार,
संबलपुर, ओडिशा, 768020

विषय – सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं.
1	कंपनी की सूचना	1
2	सूचना	2-4
3	निदेशकों का प्रतिवेदन	5-12
4	सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन	13-28
5	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	29
6	वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण	30-100

कंपनी की जानकारी

31.03.2023 को निदेशक मंडल

श्री जे.के.बोरहा (डीआईएन: 09632444)	अध्यक्ष
श्री एस.के. पाल (डीआईएन: 09034709)	निदेशक
श्री एस.सी.सुमन (डीआईएन:09549424)	निदेशक
श्री ए. के. सिंह (डीआईएन: 09501892)	निदेशक
श्री अनिल मलिक (डीआईएन: 00170411)	निदेशक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी:
श्री एम.एस. शर्मा

मुख्य वित्तीय अधिकारी:
श्री एस.के. डेबनाथ

कंपनी सचिव:
श्री एम.के. तिवारी

सांविधिक लेखा परीक्षक:
मेसर्स बिनोद के.अग्रवाल एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार,
टिटलागढ़, ओडिशा ।

सचिवीय लेखा परीक्षक:
मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स,
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
बिल्डिंग नंबर एफ/3, सहयोग नगर,
बुढ़ाराजा, संबलपुर, ओडिशा-768004

बैंकर्स:
भारतीय स्टेट बैंक,
एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा,
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर – 768020.

यूको बैंक
जागृति विहार शाखा,
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020.

एक्सिस बैंक लिमिटेड
आरआर मॉल, अशोका टॉकिस रोड,
वी.एस.एस. मार्ग, संबलपुर - 768001

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
कोलकाता बाजार के बाजू में,
गोल बाजार, संबलपुर – 768001

एचडीएफसी बैंक, टंकपानी रोड, भुवनेश्वर

पंजीकृत कार्यालय:
आनंद विहार,
पोस्ट- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओड़िशा -768020

सूचना
15वीं वार्षिक आम बैठक

सूचना एतद्द्वारा दी जाती है कि एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 15 बैठक आम वार्षिक सोमवार, 17 जुलाई,2023 को शाम 4.30 कार्यालय पंजीकृत के कंपनी बजे, आनंद विहार, पीओ-विहार जागृति, संबलपुर, उड़ीसा,768020 जाएगी। की आयोजित लिए के कार्यों निम्नलिखित में सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2023 को लेखा परीक्षा तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए और साधारण संकल्प के रूप में, संशोधन के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

   "संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 142 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एमएनएच शक्ति लिमिटेड
ह/-
(एम.के.तिवारी)
सचिव कंपनी

पंजीकृत कार्यालय :
आनंद विहार,
पोस्ट - विहार जागृति, बुर्ला, संबलपुर 768020

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 15.07.2023

नोट-

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों के नियम 18 के साथ पठित , 2014 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 5 मई, 2022; सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020; सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 क्रमशः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी किए गए। भारत के (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके समय के लिए फिर से लागू होने सहित) और अन्य लागू कानूनों और नियमों, एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारकों, निदेशकों और लेखा परीक्षकों को बैठक में भाग लेने और / या मतदान करने का अधिकार है। csmnhshaktiltd@gmail.com पर ई-मेल भेजकर बैठक में विचार किए गए मदों पर केवल ऐसे स्तर पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग लें और/या मतदान करें। . सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों को अधिकृत मेल आईडी से काफी पहले लिंक प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और 15 मिनट बंद नहीं की जाएगी। इतने निर्धारित समय के बाद।बैठक में भाग लेने और मतदान करन्रे के हकदार सदस्य स्वयं के बदले उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के हकदार है और उस प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्य और बैठक में उनकी ओर से अपने प्रतिनिधि को भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है ।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
3. 15वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से पहले, सभी कार्य दिवसों पर व्यावसायिक घंटों के दौरान अन्य अनिवार्य रजिस्टरों/दस्तावेजों के साथ नोटिस और संलग्नक में संदर्भित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं ।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए रखे जाने वाले आवश्यक रजिस्टरों को जारी रखने के दौरान एक्सेस किया जा सकेगा, बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बैठक की निरंतरता के दौरान पहुंच योग्य होगा

सदस्य गण:

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020।
(ध्यान दें : कंपनी सचिव, एमसीएल)।
2. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड), नेवेली हाउस नंबर 13 जे, पेरियार ईवीआर हाई रोड, किलपौक, चेन्नई-600010 (ध्यान दें : कंपनी सेक्रेटरी, एनएलसी)।
3. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी भवन, तीसरी मंजिल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली मुंबई-400025 (ध्यान दें : कंपनी सचिव, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड)।

लेखापरीक्षकगण:

1. मेसर्स बिनोद के एसोसिएट्स एंड अग्रवाल., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, टिटलागढ़, ओडिशा
2. महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), पुराना निज़ाम प्लेस, बोस चंद्र जगदीश आचार्य 4/234 रोड, कोलकाता 700020-

निदेशक:

1. सभी निदेशक, एमएनएच शक्ति लिमिटेड बोर्ड

एमएनएच शक्ति लिमिटेड
निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में
शेयरधारकगण
एमएनएच शक्ति लिमिटेड

प्रिय सदस्यगण,
एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। मैं आपकी कंपनी की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर रहा हूं।

एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में 6.5एमटीवाई क्षमता वाली तलाबीरा-III खान की परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार ने जून, 2002 में अनुमोदित किया था। किन्तु,योजना आयोग ने परियोजना रिपोर्ट को उच्च क्षमता के साथ संशोधित करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, 6.5 एमटीवाई की परियोजना रिपोर्ट नवंबर, 2004 में वापस ले ली गई। तत्पश्चात, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रभाग आदित्य एल्यूमिनियम एवं नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उनकी कैप्टिव खपत हेतु तलाबीरा-II खान के आवंटन के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने तलाबीरा-II व तलाबीरा-III की खानें संयुक्त रूप से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेयवेली लिगनाईट कॉर्पोरेशन और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आबंटित करने का निर्णय लिया। केन्द्र सरकार ने ये खानें संयुक्त रूप से एमसीएल, एनएलसी और एचआईएल को 10 नवंबर, 2005 को आबंटित की थी। केन्द्र सरकार ने कोयले संरक्षण और प्रौद्योगिकी का अधिकतम नियोजन सुनिश्चित करने के लिए तलाबीरा II और तलाबीरा-III कोयला ब्लॉकों को 20 एमटीवाई क्षमता और 23 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता सहित तलाबीरा ओसीपी नामक खान बनाकर, एक तरफ एमसीएल और दूसरी तरफ एनएलसी व एचआईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का निर्णय लिया। संयुक्त उद्यमी कंपनी में एमसीएल की इक्विटी 70% होगी जबकि शेष 30% इक्विटी मेसर्स नेयवली लिग्नाईट कार्पोरेशन एवं मेसर्स हिंडाल्को की अर्थात प्रत्येक की 15% होगी। तदनुसार, एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत की गई। तलाबीरा ओसीपी (20 एमटीवाई)की परियोजना रिपोर्ट को कोल और ओवरबर्डेन आउटसोर्सिंग दोनों प्रकार के प्रारंभिक पूंजी परिव्यय के लिए दिनांक 29.03.2008 को 447.72 करोड़ के पूंजी लागत के साथ एमसीएल बोर्ड (एक मिनीरत्न कंपनी) द्वारा अपने 94वीं बैठक में अनुमोदित किया गया और उसी को एमएनएच शक्ति बोर्ड द्वारा 15 जुलाई, 2010 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

परियोजना में 994.5 हेक्टेयर कोयला धारित क्षेत्र हैं जो एफ़1-एफ़1 पश्चिम गैर कोयला क्षेत्र से सीमाबद्ध है। पूर्वी सीमा को भू-गर्भीय ब्लॉक सीमा/गैर-कोयला क्षेत्र से चिह्नित किया गया है। उत्तरी सीमा को ईब नदी से

परिभाषित किया गया है और दक्षिण में तलाबीरा-I खान की साझी सीमा है, जिसका संचालन हिंडाल्को कर रहा है।

इस ब्लॉक का खनन योग्य भंडार 553.98 मी.टन.(ईब सीम व रामपुर सीम में) है। खान स्ट्रीपिंग 1:1.09 के अनुपात में कार्य करेगी। अधिकांश कोयला जी-11 एवं जी-17 श्रेणी के हैं जो थर्मल पॉवर के लिए उपयुक्त है। 20 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खान की आयु 34वर्ष है।

वर्तमान स्थिति:

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सितंबर, 2014 को भारत सरकार की स्क्रीनिंग समिति द्वारा किए गए कोयला ब्लॉक के आवंटन पर निर्णय दिया है, क्योंकि सरकारी वितरण मार्ग द्वारा किए गए आवंटन मनमाने और अवैध हैं। निजी पार्टियों या सरकारी कंपनी जिनका निजी पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम है,को आवंटित कोल ब्लॉक 1993 से प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर तलाबीरा-II एवं III के कोयला ब्लॉक भी 24.09.2014 से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये गए हैं।

कोयला खनन (विशेष प्रावधान)अधिनियम, 2015 के प्रावधान के अनुसार नामित प्राधिकारी द्वारा जारी पत्रसंख्या-103/1/2016/एनए, दिनांक-17 फरवरी, 2016 के तहत नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड को तलाबीरा II एवं III के कोयला खान के आवंटन से संबंधित निर्णय का सम्प्रेषण किया गया और पूर्व आवंटी से देय मुआवजा राशि के मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत जानकारी मांगी गई थी,यह जानकारी पूर्व आवंटी अर्थात एमएनएच शक्ति लिमिटेड द्वारा 29 फरवरी, 2016 को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुतकी गई थी।

कंपनी नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के माध्यम से भूमि अधिग्रहण, प्रगतिशील कार्यों में लगी पूंजी और अमूर्त परिसंपत्ति में खर्च किये गए राशि के लिए नए आवंटी से मुआवजा प्राप्त करने का हक रखती है। कोयला खान (विशेष प्रावधान)अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया जा रहा है।

नामित प्राधिकारी के कार्यालय ने पूर्व आवंटी के पत्रांक-110/13/2015/एनए, दिनांक-12.09.2016 के अनुसार भौगौलिक रिपोर्ट की लागत एवं मुआवजा हेतु राशि भुगतान आयुक्त, कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता को हस्तांतरित की। इसमें तलाबीरा II एवं III कोयला खान की मुआवजा राशि रु. 15,88,94,332 शामिल है। इसके बाद कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक-04.01.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से राशि हस्तांतरित की।

पुन: नामित प्राधिकारी के कार्यालय ने पूर्व आवंटी के दिनांक-01.12.2016 के पत्रांक 110/9/2015/एनए(भाग-II) के तहत आधारभूत संरचना की लागत हेतु मुआवजा राशि भुगतान आयुक्त अर्थात कोयला नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता को हस्तांतरित की। इसमें सिर्फ तलाबीरा II एवं III के कोयला खान की मुआवजा राशि-2,66,56,000 रुपये (2 करोड़ 66 लाख 56 हजार रुपये) शामिल है। तदोपरांत कोयला नियंत्रक कार्यालय ने दिनांक-08.02.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से मुआवजा राशि हस्तांतरित की।

कंपनी गैर सरकारी वन भूमि के लिए राज्य सरकार से रु. 26.58 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि पाने का हकदार है। अभी तक कंपनी को नामित प्राधिकारी से राशि नहीं मिली है। इस राशि को तय समय में पूर्व आवंटियों को वितरित किया जाएगा।

दिनांक 15 नवंबर, 2017 को संबलपुर में आयोजित एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 42 वीं बोर्ड बैठक में प्रत्येक रु. 10/- (रुपए केवल दस) के 5,00,00,000 (पाँच करोड़) पूर्ण रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को रद्द करने के माध्यम से एमएनएच शक्ति लिमिटेड की पूंजी को 85.10 करोड़ से घटाकर 35.10 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 58.75%, जो कुल रु. 50,0000,000 (पचास करोड़) का होता है, सामान्य बैठक में शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन, विशेष संकल्प और संयुक्त उद्यम भागीदारों की सहमति से समेकित किया जाएगा। एनसीएलटी द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के बाद, नवंबर, 2021 के महीने में 50 करोड़ रुपये को उनके मौजूदा शेयर होल्डिंग अनुपात के साथ संयुक्त उद्यम के बीच वितरित किया गया।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च:

उपरोक्त मामलों पर कोई जानकारी देना आवश्यक नहीं हैं क्योंकि कंपनी का निगमन 2008-09 में हुआ है और इस प्रकार की कोई गतिविधि शुरू नहीं हुई है।

जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी में विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण हेतु पारम्परिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए है, भू-अधिग्रहण, वन अनुमति एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार नजर रखी जाती है।

संबंधित पार्टी लेनदेन:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेंथ आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण रूप से पार्टी संबंधित लेन-देन नहीं किया जाता है, जिसमें कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

ऋण गारंटी और निवेशों का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) और (11) तथा कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण के तहत् वित्तीय विवरणी में किये गये निवेश, दिये गए ऋण या ऋण की गारंटी या उपलब्ध कराये गये प्रतिभूति और जिस हेतु ऋण या गारंटी या प्रतिभूति प्रस्तावित है को लोन या गारंटी प्राप्त कर उसका खुलासा किया गया है।

निगरानी तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले है।

नामांकन समिति:

कंपनी ने नामांकन समिति का गठन अभी तक नहीं किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व:

कंपनी ने वर्ष के दौरान विकास के तहत सीएसआरगतिविधियों की दिशा में कोई व्यय नहीं किया है।

पूंजीगत संरचना:

कंपनी का 31.03.2022 को इक्विटी शेयर पूंजी रूपए 10,000.00 लाख है और जारी तथा सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी रु.3510.00 लाख है, जिसे कंपनी के शेयरधारकों ने अंशदान स्वरूप प्रदान की है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैं :-

(रु. लाख में)

शेयरधारकों के नाम	राशि
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	2457.00
एनएलसी इंडिया लिमिटेड	526.50
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	526.50

वित्तीय समीक्षा

कंपनी द्वारा तलाबीरा II3और तलाबीरा III की खदानों को हटा दिया गया था। अतः कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार, अवधि के दौरान किए गए सभी व्यय को समीक्षाधीन अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया। लेखा के मुख्य वित्तीय आंकड़े निम्नानुसार हैः-

31 मार्च, 2023 के अनुसार तुलनपत्र मद

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण	31 मार्च, 2023 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार
1	अधिकृत शेयर पूंजी	10000.00	10000.00
2	प्रदत्त शेयर पूंजी	3510.00	3510.00
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.76	0.91
4	नगद तथा नगद के समकक्ष (जमा सहित)	1396.05	1352.85
5	चालू परिसंपत्ति (नगद तथा नगद के समकक्ष को छोड़कर)	2925.84	2917.79
6	चालू देयताएँ	149.48	116.32

लाभ एवं हानि के विवरण का सार

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष 2022-23	पूर्व वर्ष 2021-22
1	अन्य आय	61.37	146.67
2	अन्य व्यय	37.25	31.25
3	मूल्यह्रास	0.15	0.15
4	कर पूर्व लाभ	23.97	115.27
5	कर व्यय	6.03	29.01
6	कर पश्चात लाभ	17.94	86.26
7	ईपीएस (रु.)	0.05	0.13

लेखापरीक्षक :

कंपनी अधिनियिम,2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2022-23 के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया:-

मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकर,
टिटलागढ़, ओडिशा

निदेशक मंडल

निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट की अवधि में कंपनी के निदेशक थे :

श्री जे.के.बोरहा (डीआईएन: 09632444)	अध्यक्ष (06.09.2022)
श्री के. आर. वासुदेवन (डीआईएन: 07915732)	अध्यक्ष (15.09.2021 से प्रभावी)
श्री एस. के. पाल (डीआईएन: 09034709)	निदेशक (16.01.2022 से प्रभावी)
श्री ए. के. सिंह (डीआईएन: 09501892)	निदेशक (16.01.2022 से प्रभावी)
श्री एस.सी.सुमन (डीआईएनः09549424)	निदेशक (20.07.2022 से प्रभावी)
श्री जे.श्रीनिवासन (डीआईएनः01220828)	निदेशक (19.07.2022 तक)
श्री आर. विक्रमन (डीआईएनः07601778)	निदेशक (06.04.2022 तक)
श्री अनिल मलिक (डीआईएन - 00170411)	निदेशक (20.12.2019 से प्रभावी)

16. बोर्ड की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठक का विवरण अविध के साथ नीचे दिया जा रहा है :

बैठक संख्या	बैठक की तिथि	बैठक आयोजन स्थल
57वीं	11.04.2022	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
53वीं	29.04.2022	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
59वीं	20.07.2022	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
60वीं	20.10.2022	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
61वीं	18.01.2023	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर

निदेशको की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ बोई की संरचना का विवरण :-

निदेशकों के नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठकें	
		अवधि में हुई बैठक	उपस्थित हुए
श्री जे.के.बोरहा (डीआईएन: 09632444)	गैर-कार्यकारी	2	2
श्री के.आर. वासुदेवन (डीआईएन: 07915732)	गैर-कार्यकारी	3	3
श्री जे.श्रीनिवासन (डीआईएन:01220828)	गैर-कार्यकारी	2	2
श्री एस.सी.सुमन (डीआईएन:09549424)	गैर-कार्यकारी	3	0
श्री अनिल मलिक (डीआईएन - 00170411)	गैर-कार्यकारी	5	0
श्री ए.के. सिंह (डीआईएन: 09501892)	गैर-कार्यकारी	5	5
श्री एस.के. पाल (डीआईएन: 09034709)	गैर-कार्यकारी	5	1

<u>निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण</u>

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के आवश्यकतानुसार माननीय सभी निदेशकों के दायित्वपूर्ण वक्तव्यों की पुष्टि-

1. 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

4. निदेशकों ने दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा को 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किया है।

5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में सूचना कंपनी नियमावली 2014 के तहत अनुभाग 197 के साथ नियम 5 को भी (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन) पढ़े जाने के अनुरोध पर प्रदान की जायेगी। अधिनियम की धारा-136 के तहत कर्मचारियों से संबंधित सूचना को छोड़कर कंपनी के सदस्यों तथा अन्य हकदारों की रिपोर्ट तथा खातों से संबंधित जानकारी भेजी जा रही है, वार्षिक आम बैठक की आगामी तिथि निर्धारित करने हेतु उपलब्ध विवरणों का निरीक्षण कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सदस्यों द्वारा की जाएगी। यदि कोई सदस्य इसका निरीक्षण करने में रुचि रखते हैं, तो ऐसे सदस्य कंपनी सचिव को अग्रिम लिख सकते हैं।

बैंकों का नाम तथा पता :

क्र.	नाम	शाखा का पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020
2	यूको बैंक	जागृति विहार शाखा (कोड 1890) जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
3	एक्सिस बैंक लिमिटेड	आर.आर.मॉल, अशोका टॉकीज रोड, वी.एस.एस.मार्ग, संबलपुर- 768001
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कोलकाता बाजार के बगल में, गोल बाजार, संबलपुर- 768001
5	एचडीएफ़सी बैंक	टंकापानी रोड, भुवनेश्वर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट/सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ अवलोकित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पढ़ा जाये जो कि स्वतः स्पष्ट है अतः इस पर आगे किसी भी तरह की टिप्पणी आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी ने सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त की है जो संलग्नित है।

वार्षिक रिटर्न का सार

फॉर्म एमजीटी -9 में वार्षिक रिटर्न के सार को इसके साथ संलग्न किया गया है।

आभार

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा दिए गए बहुमूल्य निर्देशन, सहयोग तथा सुझाव के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर दी गई सहायता एवं सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के कार्यालय, लेखापरीक्षकों, अधिकारियों और महानिदेशालय (कोयला), कोलकाता के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हैं।

परिशिष्ट

निम्नलिखित कागजात संलग्न है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139के अंतर्गत नियुक्त किये गये सांवधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (अनुलग्नक-I)
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी। (अनुलग्नक-II)

ह/-
(जे.के. बोहरा)
डी.आई.एन:09632444
अध्यक्ष, एमएनएच शक्ति लिमिटेड

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 15.07.2023

बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकर

501 फोरम मार्ट, यूनिट III
खारवेलनगर
भुवनेश्वर– 751001
टेलीफोन: +91 674 2380998
ई-मेल: fcabinod@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में
एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

मत

हमने एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के इंड एएस वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट्स (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक जानकारी को उपरोक्त वित्तीय विवरणों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों में भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तथा लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नगदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम यह मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायी निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

लेखा परीक्षण मानक (एसए) 701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मौलिक लेखा परीक्षा मामले इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारियाँ

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन, निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी अन्यथा या भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है और जो अधिनियम 133 एवं इसके तहत जारी अन्य प्रासंगिक नियम के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक सहित आम तौर पर भारत में स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में बदलाव तथा नगद प्रवाह के विवरण पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए उपर्युक्तानुसार प्रकटीकरण, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और इसके आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प न हों।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं , चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण पर मानक के साथ आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उनसे उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा परीक्षण मानक (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यवसायी निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखापरीक्षा के दौरान व्यवसायी संशय को बनाए रखते हैं। पुनश्च,

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो। साथ ही उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षण की प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे राय को आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित होते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबन्धित प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता

मौजूद है जो कंपनी के चालू रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। जो एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है या हमारी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और हमारे लेखा परीक्षा के दौरान पहचाने जाने वाले महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारियों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के प्रभारियों को अपने वक्तव्य द्वारा आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जो संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है। शासन के प्रभारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे और यह प्रमुख लेखापरीक्षा मामले से संबंधित होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जा सकती है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदनः

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट), 2020 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के उप खंड(11) के संबंध में, हम "अनुलग्नक- 1" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप-निर्देशों पर "अनुलग्नक-2" में दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, वांछित रिपोर्ट इस प्रकार है:

i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ii. हमारी राय में, बही की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को कंपनी द्वारा रखा गया है।

iii. इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खाते की प्रासंगिकता लेखा बहियों के अनुरूप है।

iv. हमारे मत में, उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

v. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट का अवलोकन करें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

vii. अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमें सूचित किया जाता है कि अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रबंधकीय पारिश्रमिक कंपनी पर लागू नहीं होतीं है।

viii. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को कोई भी निधि या उधार नहीं दिया गया या किसी भी निधि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से) का निवेश नहीं किया गया है। इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, कंपनी की ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य

व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से इस तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा।

ix. प्रबंधन ने निरूपित किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ कि लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह की कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगी ; तथा

x. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना, इस दौरान हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (1) और (2) के तहत अभ्यावेदन में कोई गलत विवरण है।

xi. कंपनी नियमावली, 2014 के नियम, 11 (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) के तहत अन्य मामलों से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में हमारे विचार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निम्न को शामिल किया गया है:

क. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है, जो उसके भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ख. जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कि कंपनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी तरह के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (2) के तहत कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि को फंड में स्थानांतरित करने में देरी नहीं होती है।

घ. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 का अनुपालन नहीं होता है।

कृते, बिनोद के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी संख्या: 320167ई
ह/-
(बी. के. अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं 055209
यूडीआईएन: 23055209BGXRQQ3838

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 25.04.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसार एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

क. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति तथा संपत्ति के उपयोग के अधिकार की प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख. उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के संपत्ति संयंत्र और उपकरण और संपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और हमारी राय में इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई है। ऐसे भौतिक सत्यापन कंपनी के स्वरूप और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के संबंध में उचित है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई स्वामित्व विलेख नहीं है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च 2023 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii.

क. कंपनी के पास कोई वस्तु-सूची नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. कंपनी को कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान किसी भी समय, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iii. कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों में निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, जिसके संबंध में:

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी अन्य संस्था को ऋण या स्थायी गारंटी के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और ऋण देने के नियम और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

ग. दिए गए ऋणों के संबंध में, मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और मूल राशि का पुनर्भुगतान और ब्याज की प्राप्तियां आम तौर पर शर्त के अनुसार नियमित होती हैं।

घ. कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख तक कोई भी अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

ङ. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए किसी भी ऋण का नवीकरण या विस्तार नहीं किया गया है या समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय का निपटान करने के लिए नए ऋण नहीं दिए गए हैं।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान मांग पर चुकाने योग्य या किसी भी नियम या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए खंड 3(iii)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कंपनी ने कंपनियों, फर्मों सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम राशि नहीं दी है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा नहीं दी है, इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता.

v. कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vii. वैधानिक बकाया के संबंध में:

क. हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और अन्य सामग्री वैधानिक देय जो उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उस पर लागू होते हैं सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है।

कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के संबंध में विवादित बकाया का विवरण नीचे दिया गया है। :-

क्रमांक	अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रु. लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
1	आयकर अधिनियम	आयकर	336.43	2011-12 2012-13 2013-14	सीआईटी (ए), संबलपुर

उपरोक्त में से विरोध के तहत आयकर के लिए रू. 257.47 लाख की राशि जमा की गई तथा विरोध के तहत सेवा कर के लिए रु 20.87 लाख की राशि जमा की गई।

viii. पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

ix.

क. कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर बकायादार घोषित नहीं किया गया है।

ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ङ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x.

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi.

क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई भी रिपोर्ट कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है

ग. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. कंपनी एक केंद्र सरकार नियंत्रित उद्यम है और संबंधित पार्टी लेनदेन के कारण भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैराग्राफ 26 के तहत आवश्यक प्रासंगिक विवरणों का खुलासा किया है।

xiv. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली आवश्यकता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड (xiv)(ए) और (xiv)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश का खंड 3(xvi)(ए), (बी), (ग) एवं (घ) लागू नहीं है।

xvii. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। इसने हमारे ऑडिट में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान और कंपनी द्वारा किए गए कार्य पूर्व खर्चों के कारण ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में भी लाभ कमाया है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है।

xix. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने (एजिंग) और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलन-पत्र की तारीख

में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी और न हीं कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

xx. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते, बिनोद के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी संख्या: 320167ई
ह/-
(बी. के. अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं 055209
यूडीआईएन: 23055209BGXRQQ3838

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 25.04.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - 2

एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश और अतिरिक्त निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

क्रमांक	विवरण	लेखा परीक्षकों का जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जा सकते हैं।	कंपनी के खाते टैली के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में रखे जाते हैं। ईआरपी सॉफ्टवेयर, जिसमें मैनुअल फीडिंग के माध्यम से सभी डेटा को कैप्चर किया जाता है। चूंकि कोई विनिर्माण और अन्य लेनदेन नहीं हैं, इसलिए रिपोर्टिंग के लिए अन्य खंड लागू नहीं होते हैं।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण /बट्टे खाते में ऋण/ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा कोई पुनर्गठन / छूट / बट्टे खाते की ऋण / उधार / ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है।

कृते, बिनोद के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी संख्या: 320167ई
ह/-
(बी. के. अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं 055209
यूडीआईएन: 23055209BGXRQQ3838

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 25.04.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक – 3

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को हमने कंपनी के रूप में एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारीः

भारतीय चार्टड अकाउंटेन्ट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना, कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, लेखा-परीक्षा अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर समयबद्ध प्रस्तुतीकरण शामिल है।

लेखा परीक्षकों की उत्तरदायित्व:

हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1) अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित है, जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएं (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियाँ या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा का ह्रास हो सकता है।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के वित्तीय आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे। इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताया गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित किया गया है।

कृते, बिनोद के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी संख्या: 320167ई
ह/-
(बी. के. अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं 055209
यूडीआईएन: 23055209BGXRQQ3838

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 25.04.2023

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के लेखा की लेखापरीक्षा की है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप-निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते, विनोद के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी संख्या: 320167ई
ह/-
(बी. के. अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं 055209
यूडीआईएन: 23055209BGXRQQ3838

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 25.04.2023

अनुलग्नक -II

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत एमएनएच शक्ति लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उल्लेख उनके द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2023 को की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(a) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर/-
(अतुल प्रकाश)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोल), कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 20.06.2023

31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणी	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
परिसंपत्तियाँ	**संख्या**		
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	0.76	0.91
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	4	-	-
(ग) अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ	5	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.1	-	-
(ड़) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.2	-	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii)ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(छ) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		-	-
(ज) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	10	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (क)		**0.76**	**0.91**
चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तु सूची	12	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	13	-	-
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष	14	1,396.05	1,352.85
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	2,458.38	2,433.64
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		209.99	205.81
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	257.47	278.34
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		4,321.89	4,270.64
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		4,322.65	4,271.55

31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणी	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	3,510.00	3,510.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	663.17	645.23
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण जिम्मेदार इक्विटी		4,173.17	4,155.23
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		**4,173.17**	**4,155.23**
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय		-	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		-	-
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय	19		
(I) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	149.06	116.22
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	0.42	0.10
(ग) प्रावधान	21	-	-
(घ) अन्य चालू देयताएं		-	-
कुल चालू देयताएँ (ग)		**149.48**	**116.32**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**4,322.65**	**4,271.55**

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एम.एस.शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के. सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 09501892

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स के और ओर से
सनदी लेखाकार
ह/-
(सीए बिनोद कुमार अग्रवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 055209)
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167E
यूडीआईएन: 23055209BGXRQQ3838

ह/-
(जे. के.बोरा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

दिनांक: 25.04.2023
स्थान: सम्बलपुर

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन से राजस्व			
क. विक्रय (सांविधिक लेवी का निवल)	24	-	-
ख.अन्य प्रचालन राजस्व (वैधानिक लेवी का निवल)		-	-
i.प्रचालन से राजस्व (क+ख)		-	-
ii.अन्य आय	25	61.37	146.67
iii.कुल आय (I+II)		**61.37**	**146.67**
(IV)व्यय			
खपत की गई सामग्री की लागत	26	-	-
व्यापार में स्टॉक की खरीद		-	
निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक	27	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	28	27.08	17.77
ऊर्जा व्यय		-	
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	-	-
मरम्मत	30	-	-
संविदात्मक व्यय	31	-	-
वित्त लागत	32	6.61	3.49
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय		0.15	0.15
प्रावधान	33	-	-
बट्टे खाते में डालना	34	-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		-	
अन्य व्यय	35	3.55	9.99
कुल व्यय (IV)		**37.40**	**31.40**
संयुक्त उद्यम के शेयर से पूर्व लाभ/सहयोगी के लाभ/(हानि) (III-IV)		**23.97**	**115.27**
(VI) संयुक्त उद्यम के शेयर /सहयोगियों के लाभ/(हानि)			
(VI) असाधारण मद		-	-
(VII) कर पूर्व लाभ (V+VI)		**23.97**	**115.27**
(VIII) कर व्यय	36		
चालू कर		6.03	29.01
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय (IX)		**6.03**	**29.01**
(IX) सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		**17.94**	**86.26**
(X) बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI) बंद प्रचालन के कर व्यय		-	-
(XII)बंद प्रचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII) अवधि के लिए लाभ (IX+X+XI+XII)		**17.94**	**86.26**

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(XIV)अन्य व्यापक आय			
क (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।	37	-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
ख (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय		-	-
(XVI) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV)(अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)		**17.94**	**86.26**
लाभ के लिए जिम्मेदार :			
कंपनी के स्वामित्व		17.94	86.26
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	
		17.94	**86.26**
अन्य व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामित्व		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामित्व		17.94	86.26
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		17.94	**86.26**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):			
(1) मौलिक		0.05	0.13
(2) मंदित		0.05	0.13
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु)::			
(1) मौलिक		-	-
(2) मंदित		-	-
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत एवं बंद प्रचालन):			
(1) मौलिक		0.05	0.13
(2) मंदित		0.05	0.13

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एम.एस.शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के. सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 09501892

ह/-
(जे. के.बोरा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स विनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स के और से
सनदी लेखाकार
ह/-
(सीए विनोद कुमार अग्रवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 055209)
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167E
यूडीआईएन: 23055209BGXRQQ3838

दिनांक: 25.04.2023
स्थान: सम्बलपुर

नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर पूर्व कुल व्यापक आय		23.97	115.27
निम्न के लिए समायोजन :			
दीर्घावधि के उधार पर विनिमग्र में उतार-चढ़ाव		-	-
अचल आस्तियों की मूल्यह्रास / हानि		0.15	0.15
बैंक जमा पर ब्याज		(61.37)	(146.67)
वित्तीय गतिविधियों से संबन्धित वित्त लागत		6.61	3.49
छूट की अनवाईंडिंग		-	-
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव		-	-
स्लीपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
बट्टे खाते एवं बनाए गए प्रावधान		-	-
चालू / गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं के पूर्व परिचालन लाभ		(30.64)	(27.75)
निम्न के लिए समायोजन :			
व्यापर प्राप्य		-	-
वस्तु-सूची		-	-
गैर चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां			
चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ, अन्य परिसंपत्तियाँ		(14.09)	(46.41)
चालू / गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं		33.16	21.65
संचालन से उत्पन्न नकद		(11.56)	(52.51)
भुगतान/वापस किए गए आयकर		-	-
संचालन गतिविधियों से सकल नकदी प्रवाह	(क)	(11.56)	(52.51)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सीडब्ल्यूआईपी / अचल परिसंपत्तियों की खरीद में परिवर्तन		-	-
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज / लाभांश		61.37	146.67
निवेश गतिविधियों से सकल नकद	(ख)	61.37	146.67

(₹ लाख में)

		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह			
उधार में बदलाव		-	-
ऋणों का पुनर्भुगतान		-	-
वरीयता शेयर पूंजी का मोचन			
वित्त गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत		(6.61)	(3.49)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश		-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी में कमी		-	(5,000.00)
इक्विटी शेयर पूंजी के पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त कुल नकद	(ग)	**(6.61)**	**(5,003.49)**
नकद और बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**43.20**	**(4,909.34)**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		**1,352.85**	**6,262.19**
वर्ष के अंत तक नकद और नकद समकक्ष राशि		**1,396.05**	**1,352.85**

(कोष्ठ के सभी आंकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करते हैं।)

टिप्पणी :

1. उक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।.
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों का दिनांक 31.03.22 को 2021-22 के पूरे साल के लिए लेखा परीक्षा किया गया हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एम.एस.शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(ए. के. सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 09501892

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स के और ओर से
सनदी लेखाकार
ह/-
(सीए बिनोद कुमार अग्रवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 055209)
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई
यूडीआईएन: 23055209BGXRQQ3838

ह/-
(जे. के.बोरा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

दिनांक: 25.04.2023
स्थान: सम्बलपुर

31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 के अनुसार

(₹ लाख में)

विवरण	4/1/2022 तक शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2022 तक शेष पुन:वर्णित शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 तक शेष
प्रत्येक ₹ 10/- के 35100000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया	3,510.00	-	3,510.00	-	3,510.00

31 मार्च 2022 के अनुसार

(₹ लाख में)

विवरण	4/1/2021 तक शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2021 तक शेष पुन:वर्णित शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 तक शेष
प्रत्येक ₹ 10/- के 85100000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया	8,510.00	-	8,510.00	-5,000.00	

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2022 तक शेष	-	-	645.23	-	645.23
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	17.94	-	17.94
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (टीआरएफ से मुख्यालय)	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक शेष	-	-	663.17	-	663.17

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2021 तक शेष	-	-	558.97	-	558.97
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	86.26	-	86.26
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक शेष	-	-	645.23	-	645.23

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(ए. के. सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 09501892

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स के और ओर से
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए बिनोद कुमार अग्रवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 055209)
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई

यूडीआईएन: 23055209BGXRQQ3838

ह/-
(एम.एस.शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(जे. के.बोरा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

दिनांक: 25.04.2023
स्थान: सम्बलपुर

वित्तीय विवरण से संबंधित टिप्पणी

टिप्पणी :1 निगम से संबंधित(कॉरपोरेट) जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा तलाबीरा –II और III कोल ब्लॉक का निर्णय किया गया, जिसके तहत 20 एमटीवाई की बुनियादी क्षमता और 23 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खनन कार्य किया जा सके। इसके लिए एमसीएल, एनएलसी और हिंडाल्को के बीच क्रमश: 70:15:15 के अनुपात के शेयर स्वामित्व के साथ एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का निर्माण किया गया, जिसे दिनांक 16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एवं पंजीकृत किया गया।

टिप्पणी : 2 महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

i. कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) भारतीय मानक नियमों की धारा- 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार किये गये हैं ।

ii. वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत आधारित मूल्य पर तैयार किये गये हैं, सिवाय इसके कि,

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद- 14 में वित्तीय साधनों पर लेखा नीति देखें)।
- परिभाषित लाभ योजनाएँ- उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपतियाँ है।
- वस्तुसूची पर लागत या एनआरवी इनमें से जो भी कम हो (अनुच्छेद संख्या- 2.20 की लेखा नीति देखे)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक लाख रुपए में दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 चालू एवं गैर- चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू / गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में तब माना जाता है ,जब:

क) कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र में संपत्ति को संपादित करने का विचार रखता है, या इसे बेचने या उपभोग करने का विचार रखता है ।

ख) कंपनी मुख्य रुप से व्यापार के उद्देश्य के लिए संपत्ति रखता है ।

ग)यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्तियां प्राप्त करता है; या

घ)परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है(भारतीय लेखा मानक – 7 में परिभाषित के रुप में) जब तक कि परिसंपत्ति का आदान – प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या सूचना अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है ।अन्य सभी संपत्तियाँ गैर वर्तमान में वर्गीकृत है ।

एक दायित्व को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब

(अ) कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र में दायित्व का निपटारा करने की अपेक्षा करता है ।

(आ) कंपनी मुख्य रुप से व्यापार के उद्देश्य के लिए उत्तरदायित्व रखता है ।

(इ) सूचना अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर दायित्व का निपटान किया जाना है ।

(ई) कंपनी के पास सूचित अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है । एक दायित्व की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर देयता पर, शेयर लिखतों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिमाणित हो सकती है, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती है ।

अन्य सभी उत्तरदायित्व गैर वर्तमान वर्गीकृत हैं ।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज हेतु हकदार होने की उम्मीद रखती हो। कंपनी ने आमतौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में श्रेष्ठ है क्योंकि यह आमतौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करते हुये भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को लागू किया जाता है :

चरण 1: संविदा की पहचान:

कंपनी ग्राहक के साथ संविदा का अधिकार तभी लेती है जब ग्राहक द्वारा निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

क) संविदा के पक्षकारों ने संविदा को मंजूरी दे दी है और ग्राहक अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

ख) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है।

ग) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतान के शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) संविदा में वाणिज्यिक विषय (कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह के जोखिम, समय या राशि संविदा के परिणामस्वरूप बदलने की उम्मीद है) है और

ङ) यह संभव है कि कंपनी उस पर विचार करेगी जिसके लिए कंपनी ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु विनिमय के लिए हकदार होगी। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, कंपनी संविदा में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है तो कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या कंपनी द्वारा ग्राहक प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

संविदा का संयोजन

यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है तो कंपनी एक ही ग्राहक द्वारा (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) एक ही समय में दो या दो से अधिक संविदाओं को समेकित करती है और संविदा एकल संविदा के रूप में मान्य होगा, :

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ संविदा पर पैकेज के रूप में बातचीत की जा सकती है;

ख) एक संविदा में भुगतान की जाने वाली विचार की राशि दूसरे संविदा की कीमत या कार्य पर निर्भर करती है; या

ग) संविदा में तय किए गए माल या सेवायें (या प्रत्येक संविदा में तय किए गए कुछ माल या सेवायें) एकल कार्य-निष्पादन दायित्व हैं।

संविदा संशोधन

यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं, तो कंपनी एक अलग संविदा के रूप में संविदा संशोधन के लिए उत्तरदायी है :

क) तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से अलग होने के कारण संविदा की गुंजाइश बढ़ जाती है,जो विशिष्ट हैं

ख) संविदा की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है, यह कंपनी के स्टैंडअलोन के अतिरिक्त संविदा परिस्थितियों को दर्शाने के लिए अतिरिक्त कीमत वाले माल या सेवाओं की कीमतों और उस मूल्य के लिए किसी भी उचित निर्णय को दर्शाता है।

चरण - 2 : निष्पादन दायित्वों की पहचान

संविदा के प्रारम्भ में, कंपनी ग्राहक के साथ संविदा में तय किए गए माल या सेवाओं का आकलन करती है और कार्य निष्पादन दायित्व रूप में उसकी पहचान करने हेतु प्रत्येक ग्राहक से वादा करती है

क) माल या सेवाएं (माल या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है ; या

ख) अलग-अलग माल या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए उनके स्थानांतरण का तरीका भी समान होता है।

चरण 3 : लेननिर्धारण का मूल्य देन-

कंपनी लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसकी प्रथागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेनदेन मूल्य विचार की वह राशि है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए विचार में निश्चित राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन देन-मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा, छूट, वापसी, जमा, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है।

कुछ संविदाओं में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, संविदा के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है। जहां लेनहै निहित जुर्माना में निर्धारण के मूल्य के देन-, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में कुछ या सभी अनुमानित विचार की मात्रा में केवल उस सीमा तक शामिल होती है जब यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितताओं को बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए निर्धारित राशि को समायोजित नहीं करती यदि यह संविदा के प्रारम्भ के समय अपेक्षा करती है कि, जब वह किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करती है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतान करता है तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम होंगी।

कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार करती है और यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। धनवापसी दायित्व प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार नहीं समझता है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल मूल्य नहीं)। प्रतिदाय दायित्व (और लेनदेन की कीमत में परिवर्तन, इसलिए अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतित किया जाता है।

संविदा के प्रारंभ होने के पश्चात, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती है, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध माल या सेवाओं के विनिमय में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4 : लेनआवंटन का मूल्य देन-

लेन-देन मूल्य आवंटित करते समय कंपनी का उद्देश्य प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग माल या सेवाएं) के लिए एक राशि में लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जिसमें उस विचार को दर्शाया गया है जिससे कंपनी को उम्मीद है कि वह ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगी।

संबंधित विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित हेतु कंपनी संविदा में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग माल या सेवाओं के संविदा के प्रारंभ पर स्टैंड –अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और स्टैड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। जब (या जैसे) ग्राहक वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो वस्तु या सेवा उसे हस्तांतरित की जाती है।

यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है तो कंपनी समय पर माल या सेवाओं का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है,:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कार्य निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है एवं उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी कार्य-निष्पादन करती है।

ख) कंपनी का कार्य-निष्पादन संपत्ति को बनाता या बढ़ाता है और जितनी संपत्ति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उस पर संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है।

ग) कंपनी का कार्य-निष्पादन कंपनी वैकल्पिक उपयोग से एक परिसंपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास अब तक के प्रदर्शन के लिए के लिए एक लागू करने योग्य अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने के लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आंकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करती है।

कंपनी संविदा के तहत वादा किए गए शेष सामानों या सेवाओं के संबंधित तारीख को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए आउटपुट तरीके लागू करती है।

कंपनी संविदा के अंतर्गत तय किए गए शेष माल या सेवाओं को संबंधित तारीख को ग्राहक को स्थानांतरित की गई माल या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए आउटपुट पद्धति को लागू करती है। आउटपुट पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसी पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने हेतु प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय

लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

यदि कंपनी निष्पादन बाध्यता के पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है तभी कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरी हो जाती है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होते हैं।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरी नहीं होती, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध माल या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक होता है;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक अधिकार को स्थानांतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और माल या सेवा का स्वामित्व होता हैं;
ड) ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब संविदा के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी के कार्य निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर संविदा को संविदा संपत्ति या संविदा देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

संविदा परिसंपतियां :

एक संविदा संपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित माल या सेवाओं के विनिमय में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी माल या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अर्जित निर्णय के लिए संविदा संपत्ति को मान्यता प्राप्त होता है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य :

प्राप्य विचार की राशि के लिए कंपनी के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो शर्तरहित है (केवल भुगतान से पहले समय की आवश्यकता है)।

संविदा प्राप्य :

अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार प्राप्त होते हैं (अथवा विचार की राशि बकाया है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय (जो भी पहले हो) होने पर एक अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) की गणना तब की जाती है जब प्राप्ति निश्चित होती है तथा विश्वसनीय रूप में मापन किया जा सकता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी तथा यह निश्चित हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में अनुदान की समन्वायोजन करके तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति को व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि को विवरणारुप में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक 'अन्य आय' के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य होते है, उसे उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते है।

सरकारी अनुदान या संवर्धक योगदान का सीधा संबंध "संपत्ति कोष "से है जिसे मान्यता प्राप्त है जो "शेयरधारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

यदि अनुबंध क्षतिपूर्ति के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देती है तो संविदा एक पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल है ।

2.5.1 कंपनी पट्टेदार के रूप में

प्रारंभन तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति (राइट-टू-यूज़ एसेट) और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जिसका उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम की या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

तत्पश्चात् राइट-टू-यूज़ एसेट को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को, पट्टा देयता में ब्याज दर्शाने के लिए बढ़ती वहन राशि, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाकर, किसी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि के पुनर्मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है। संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि संपत्ति के उपयोग के अधिकार की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद के विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.5.2 एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में है।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित आस्तियों के स्वामित्व के लिए मूलत: सभी प्रासंगिक जोखिम एवं पुरस्कार को स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित आस्तियों के स्वामित्व के लिए मूलत: सभी प्रासंगिक जोखिम एवं पुरस्कार को स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टा - यदि पेटर्न का एक अन्य व्यवस्थित आधार अधिक प्रतिनिधिक नहीं होता जिसमें अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से लाभ कम होता है, तब परिचालन पट्टे से प्राप्त परिचालन भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है ।

वित्तीय पट्टा एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलनपत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.6 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो, तो कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं उसे बिक्री हेतु आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका

त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है।
- एक क्रेता का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य आकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) :-

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

मान्यता के बाद, अन्य सभी परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विकेंद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। विगत जांच के लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) अस्वीकृत की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के एक मद को निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरण के ऐसे अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में पहचाना जाता है। फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :

अन्य भूमि		
(सहित भूमि पट्टेकृत)	-	परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-30 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर व फिक्चर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए आस्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम अनुसूची के 2013 के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य आस्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है, जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो, के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से मूल्यह्रास संपत्ति, सक्रिय उपयोग के लिए अनुपयुक्त, संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत इसके अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण की गई संपत्ति के रूप में अलग से प्रकट की जाती है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत इंवेलिंग एसेट के रूप में पहचाना जाता है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापे गए भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तारीख को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने हेतु चयन किया है

2.8 खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिसनिंग बाध्यताएँ –

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य के आंकलन से संबंधित कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं उस पर लगने वाले खर्च का विस्तृत लेखा जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी

योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

खान बंदी के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल खनन बंदी के प्रगामी खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.9 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित आस्तियां में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- समन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण;
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध और विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार और वित्त अध्ययन का आयोजन ;

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री और ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन आस्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा आस्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई आस्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.10 विकास व्यय

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना को परिशोधित की जाती है।

2.11 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य है। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की गई) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के लिये मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है एवं लाभ तथा हानि के रूप में उसे मान्यता दी जाती है।

हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के कारण अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (अर्थात सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ़्टवेयर की लागत, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन साल, जो भी कम हो, सीधी रेखा पद्धति पर शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित की जाती है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 <u>परिसंपत्तियों की हानि (अलावा के संपत्तियों वित्तीय)</u>

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति की हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उपयोग में परिसंपत्ति या नकद-उत्पादक इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि अन्य संपत्ति या संपत्ति के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र हैं, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकद-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पन्न करनेवाली इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.13 <u>निवेश संपत्ति</u>

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) उत्पादन में उपयोग करने या वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए या व्यवसायों के सामान्य क्रम में विक्रय के बजाय किराये अर्जन या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए है, जिसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में संबंधित लेनदेन लागत सहित इसकी लागत पर, और जहां उधार लागत लागू हो, के अनुसार मापा जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी- रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन में कोई भी अनुबंध जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन वृद्धि करता है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से लेनदेन लागत सहित उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, ऐसा वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तारीख को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। .

2.14.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों को अनुवर्ती माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधित लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋणसाधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन(एफ़वीटीपीएल)।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत परिशोधित लागत पर ऋण साधन मापे जाते हैं।

क) परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अंतर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी प्रवाह का संग्रह करना है और

ख) परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद, प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। कमी के कारण हुई हानियों को लाभ व हानि में स्वीकार किया गया है।

2.14.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क) संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख) परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पीएंडएल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पीएंडएल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट कोई आईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट :

डेब्ट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ ही, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफवीटीपीएल में परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड (जिसे ' बेमेल लेखांकन' के रूप में संदर्भित किया जाता है) को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल के रूप में किसी ऋण साधन को निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधन को उचित मूल्य पर पीएंडएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में शेयर निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि परिवर्तन(ट्रांजिशन) की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक विहित में 10 पैरा के 28 इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ड्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इंस्ट्रुमेंट दर इंस्ट्रुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंस्ट्रुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंस्ट्रुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। ओसीआई से पीएंडएल में, यहां तक कि निवेश की राशि में भी, कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ड्रूमेंट को पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलनपत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या

- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को अंतरित कर दिया है या एक 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है या तो :

(क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक अंतरित कर दिया है या

(ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को अंतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि, जो कि डेब्ट इंस्ड्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ड्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखांकन मानक 115 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के आधार पर इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही हानि भत्ता को मान्यता देता है।

2.14.3 वित्तीय देयताएँ

2.14.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य प्राप्य, ऋण और उधारसहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.14.3.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.14.3.3
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है,जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। व्यापार के लिए आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। पृथक्कृत एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है, जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के

कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ-हानियों को बाद में पीएंडएल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हालांकि कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब रद्द की जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का हिस्सा) की वहन राशि (या वित्तीय देयता का हिस्सा) को किसी अन्य पार्टी को स्थानांतरित या हस्तांतरित की गई राशि और भुगतान किए गए विचार के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.14.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी साधन और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में बदलाव होता है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन अक्सर होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के बदलाव बाहरी दलों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में एक बदलाव तब होता है जब कंपनी या तो एक गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी प्रभाव से पुनर्वर्गीकरण लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तुरंत अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी किसी भी पहले से मान्यता प्राप्त लाभ, हानि (हानि लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुन: प्रस्तुत नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पीएंडएल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पीएंडएल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.14.5 वित्तीय साधन को पूरा करना

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और शुद्ध राशि की सूचना समेकित तुलनपत्र में दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो तो संपत्ति को प्राप्त करने के साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.14.6 नकद और समतुल्य नकद

तुलनपत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंकों और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, कुल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है, शामिल हैं।

2.15 <u>उधार लेने की लागत-</u>

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि

लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से अस्थाई अंतर उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में विपरीत नहीं होगा। इस तरह के निवेश और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर संपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभव है कि अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे इस हद तक कम कर दिया गया है कि यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.17.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय (कोयला परियोजना भविष्य निधि) द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों को उस अवधि में लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके दौरान उसने सेवाएं प्रदान की है।

2.17.2.2 पारिभाषित योगदान योजनाएं :

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक पारिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे कम भी किया जा सकता है, यदि कोई हो। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार पर आधारित होती है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यांकित किया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियों के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनःमाप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियाँ (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.18 <u>विदेशी मुद्रा</u>

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश परिचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) में है, जो उस आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है जिसमें यह संचालित होता है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.19 <u>अलग करने की गतिविधि व्यय/समायोजन :</u>

खुली खदान खनन के मामलों में, खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। इस कचरे

को हटाने की गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए खानों को राजस्व खाते में लाये जाने के बाद एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक बिलियन टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत परिसंपत्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है -

खान के ओबीआर का वार्षिक परिमाण	विचलन की अनुमेय सीमाएं
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

एक मिलियन टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.20 वस्तु सूची–

2.20.1 कोयला भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना भारित औसत पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापा स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहां भिन्नता +/- 5% से अधिक होती है, मापा स्टॉक माना जाता है। ऐसे स्टॉक का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोक को कोयले के भंडार का एक हिस्सा माना जाता है।

कोयला, कोक फाइन कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें अव्यवस्थित उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/ड्रीलिंग कैंप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.20.3 अन्य वस्तु सूची

कार्य की प्रगति सहित कार्यशाला के कार्यों को लागत पर महत्व दिया जाता है।। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का आउटफ्लो होना आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो तो वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यताएं यथोचित होती है।

2.22 उपार्जित शेयर

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करने वाले अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है :

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिस पर वे लागू होते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क) उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख) वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता

i) कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

ii) न कि केवल कानूनी रूप को दर्शाती है वरन लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को दर्शाती है

iii) तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

iv. मितव्ययी, तथा

v. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है :

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और
ख. ढांचे में संपत्ति, देयताऐं, आय तथा व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के अनुसार विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

लेखांकन के प्रोद्भवन आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.23.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।
यदि कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल परिचालन से कुल राजस्व (सांविधिक लेवी का शुद्ध) के 1% से अधिक नहीं हैं तो दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजी गई त्रुटियों / चूक को महत्वहीन माना जाता है और उसे चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा –

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.23.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों के आधार पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे बदलाव जब घटित होते हैं तब मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

2.23.2.1 गैरवित्तीय सम्पत्तियों की हानि

अगर किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो यह हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.23.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएँ

पारिभाषित लाभ, ग्रेच्युटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेच्युटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर आधारित होती है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार विकास के तहत एक परियोजना के लिए अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.23.2.6 खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुनर्स्थापना तथा डिकमीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु छूट दरों के संबंध में अनुमान लगाए जाते हैं, साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी निम्नलिखित अनुमानों के आधार पर डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके परियोजना / खदान के जीवन पर विचार करते हुए प्रावधान का आंकलन करती है।

- अनुमानित लागत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट के अनुसार प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर (प्रति कर दर) जो कि समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.24 प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर :

क.	सीजीयू	नकद उत्पाद इकाई
ख.	डीसीएफ़	रियायती नकद प्रवाह
ग.	एफ़वीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
घ.	एफ़वीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ङ.	जीएएपी	समान्यतः स्वीकृत मूलधन
च.	भा.मा.ले.	भारतीय लेखा मानक
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
ज.	पी एंड एल	लाभ और हानि
झ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
ञ.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज भुगतान

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-3: संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	अन्य खनन आधार संरचना	परिसंपत्तियां का सर्वे ऑफ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
01.04.2021 के अनुसार								5.80	-					-	5.80
परिवर्धन								-	-					-	-
विलोपन / समायोजन								-	-					-	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	5.80
01अप्रैल, 2022 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	5.80
परिवर्धन	-	-	-				-		-				-	-	-
विलोपन / समायोजन	-		-				-		-				-		-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-	-	5.80
संचित मूल्यह्रास और हानि															
01.04.2021 के अनुसार								4.74	-						4.74
वर्ष के लिए प्रभार								0.15	-						0.15
हानि								-	-						-
विलोपन / समायोजन															
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	4.89	-	-	-	-	-	-	4.89
01अप्रैल, 2022 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	4.89	-	-	-	-	-	-	4.89
अवधि के लिए प्रभार	-							0.15	-					-	0.15
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
विलोपन / समायोजन	-		-	-			-				-	-	-		-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	5.04	-	-	-	-	-	-	5.04
निवल वहन राशि															
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	0.76	-	-	-	-	-	-	0.76
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	0.91	-	-	-	-	-	-	0.91

1. अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं

संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक केरिश्तेदार# या प्रमोटर*/निदेशक के कर्मचारी है	संपत्ति किस समय से आवंटित है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
फ्रीहोल्ड लैंड	-	लागू नहीं	लागू नहीं		
अन्य भूमि	-	लागू नहीं	लागू नहीं		

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-4: पूँजीगत कार्य प्रगति

(₹ लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन अवसंरचना/विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरीडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
01.04.2021 के अनुसार				-	-		-	-
योग				-	-		-	-
पूंजीकरण/विलोपन							-	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-	-	-	-	-		-	-
01अप्रैल, 2022 के अनुसार	-	-	-	-	-		-	-
योग				-	-			-
पूंजीकरण/विलोपन								-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
संचित हानि								
01.04.2021 के अनुसार							-	-
वर्ष के लिए प्रभार							-	-
हानि							-	-
समायोजन / विलोपन							-	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-	-	-	-	-		-	-
01अप्रैल, 2022 के अनुसार	-	-	-	-	-		-	-
अवधि के लिए प्रभार	-	-	-	-	-		-	-
हानि	-	-	-	-	-		-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-	-		-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि								
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2021 के अनुसार	
योग	
पूंजीकरण/विलोपन	
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-
01अप्रैल, 2022 के अनुसार	-
योग	
विलोपन/समायोजन	
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-
परिशोधन और हानि	
01.04.2021 के अनुसार	
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-
01अप्रैल, 2022 के अनुसार	-
अवधि के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6.1 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि: :				
01.04.2021 के अनुसार			-	-
योग		-	-	-
पूंजीकरण/विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-	-	-	-
01अप्रैल, 2022 के अनुसार	-	-	-	-
योग		-	-	-
पूंजीकरण/विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-
परिशोधन और हानि				
01.04.2021 के अनुसार		-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार		-	-	-
हानि		-	-	-
विलोपन/समायोजन		-	-	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-	-	-	-
01अप्रैल, 2022 के अनुसार	-	-	-	-
अवधि के लिए प्रभार				-
हानि	-			0.00
विलोपन/समायोजन				0.00
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-
निवल वहन राशि				
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6.2: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

	विकास के तहत ईआरपी
सकल वहन राशि:	
01.04.2021 के अनुसार	-
योग	-
पूंजीकरण/विलोपन	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-
01अप्रैल, 2022 के अनुसार	-
योग	-
विलोपन/समायोजन	
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-
परिशोधन और हानि	
01.04.2021 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-
01अप्रैल, 2022 के अनुसार	-
अवधि के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-
31 मार्च, 2022 के अनुसार	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 : निवेश

(₹ लाख में)

गैर चालू निवेश	धारित करने का %	शेयर / इकाइयों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर				-	-
कुल (क)				-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)					
अन्य निवेश				-	-
कुल (ख)				-	-
सकल योग (क+ख)				-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:				-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:				-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:				-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी - 7 (जारी)

निवेश

(₹ लाख में)

चालू	इकाइयों की संख्या	धारित औसत एनएवी (₹ में)	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
म्यूचुअल फ़ंड निवेश				
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)			0	-
अंतर कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) में निवेश			0	-
कुल :			-	-
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि::			-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			-	-
टिप्पणी- 8 :ऋण				
गैर-चालू				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया			-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
			-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता			-	-
			-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण				
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया			-	
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	
- क्रेडिट हानि			-	-
			-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता			-	-
कुल			-	-
चालू				
संबंधित पक्षों को ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया			-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
			-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता			-	-
			-	-
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया			-	
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया			-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि			-	-
- क्रेडिट हानि			-	-
			-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता			-	-
कुल			-	-

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(ए) देखें।

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण			31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
उधारकर्ता का प्रकार			सकल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %	सकल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %
निदेशक				-		-
केएमपीएस KMPs				-		-
संबंधित पक्ष				-		-
कुल			-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
गैर-चालू		
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	-	-
खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा	-	
सुरक्षा जमा	-	
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य जमा और प्राप्तियां	-	
घटाव : संदिग्ध जमा एवं प्राप्य के लिए भत्ते	-	
	-	-
कुल	-	-
चालू		
धारक कंपनी/अनुषंगी कंपनियों/मुख्यालय के साथ चालू खाता शेष	-	
घटाव : अनुषंगियों के साथ संदिग्ध शेष के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अर्जित ब्याज	44.89	20.15
अन्य जमा और प्राप्य	2,413.49	2,413.49
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	-	-
	2,413.49	2,413.49
सुरक्षा जमा	-	-
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	**2,458.38**	**2,433.64**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपातियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2023 तक
(i) पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु भत्ता	-	-
	-	-
(ii) पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु भत्ता	-	-
	-	-
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु भत्ता	-	-
	-	-
(ग) खर्च किए गए प्रगतिशील खान बंदी व्यय	-	
कुल	-	-

टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपातियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क) सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	
घटाव : संदिग्ध सांविधिक देय के लिए भत्ता	-	-
	-	-
(ख) सबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(ग) अन्य अग्रिम एवं जमा	257.47	278.34
घटाव : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
	257.47	278.34
(घ) खर्च किए गए प्रगतिशील खान बंदी व्यय	-	-
(ड.) प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
कुल	257.47	278.34

अन्य अग्रिम तथा जमा का तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के तहत जमा किए गए रु. 257.47 लाख के आयकर तथा रु.20.87 लाख के सेवा कर जमा से है।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी -12 : वस्तु सूची

	31.03.2023 तक	31.03.2023 तक
(क) कोयले का स्टॉक	-	
विकास के तहत कोयला	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
(ख) भंडार और पुर्जों का स्टॉक (निवल)	-	
जोड़ : मार्गस्थ सामान	-	
भंडार और पुर्जों का कुल निवल स्टॉक	-	-
(ग) केंद्रीय अस्पताल में दवा का स्टॉक	-	
(घ) कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	-	
कुल	-	-

मूल्यांकन का तरीका : नोट संख्या 2.20 देखें - "वस्तु-सूची" पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

टिप्पणी : 13 : व्यापार से प्राप्य

	31.03.2023 तक	31.03.2023 तक
चालू		
व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
असुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	
क्रेडिट हानि	-	
	-	-
कम : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 14 : नगद एवं नगद समकक्ष

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क) बैंक के साथ शेष		
-जमा खातों में	-	-
- चालू खाते में		
- (क) ब्याज सहित (सीएलटीडी खाते आदि)	1,392.94	1,349.43
- ब्याज-रहित	3.11	3.42
नकद क्रेडिट खातों में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग) उपलब्ध चैक, ड्राफ्ट एवं मोहर	-	-
(घ) उपलब्ध नकद	-	-
(ड.) अन्य	-	-
कुल नगद एवं नगद समकक्ष	**1,396.05**	**1,352.85**

नगद और नगद समकक्ष में, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ उपलब्ध बैंक में नगद, स्वीप खाता तथा सावधि जमा शामिल है।

नोट - 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
बैंकों के साथ शेष		
जमा	-	
अन्य जमा (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए)	-	
Dividend accounts	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

प्राधिकृत	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
प्रत्येक रु. 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु. 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00
	10,000.00	**10,000.00**
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
"प्रत्येक रु.10/- के पूर्ण रुप से भुगतान किए गए 35100000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक रु.10/- के पूर्ण रुप से भुगतान किए गए 85100000 इक्विटी शेयर)"	3,510.00	3,510.00
	3,510.00	**3,510.00**

1. 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी के शेयर

शेयरधारक का नाम	आयोजित शेयरों की संख्या (प्रत्येक रु. 10 का अंकित मूल्य)	शेयर का कुल प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन %
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	24570000	70	0.00
हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	5265000	15	0.00
नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5265000	15	0.00
कुल	35100000	100	0.00

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
31.03.2017 तक शेष	8,51,00,000	8,510.00
योग/घटाव	-	0.00
31.03.2018 तक शेष	8,51,00,000	8,510.00
योग/घटाव	0.00	0.00
31.03.2019 तक शेष	8,51,00,000	8,510.00
योग/(घटाव)	-	-
31.03.2020 तक शेष	8,51,00,000	8510.00
योग(घटाव)	-	-
31.03.2021 तक शेष	8,51,00,000	8510.00
योग/घटाव	-5,00,00,000	5000.00
31.03.2022 तक शेष	3,51,00,000	3,510.00
योग/घटाव	-	0.00
31.03.2023 तक शेष	3,51,00,000	3,510.00

3. कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर है, जिसका अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार होते हैं।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मांप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2022 तक शेष	**0.00**	**0.00**	**645.23**	**0.00**	**645.23**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			17.94	0.00	**17.94**
अन्तरिम लाभांश					**0.00**
अंतिम लाभांश					**0.00**
सामान्य रिजर्व में/ के लिए अंतरण		0.00			**0.00**
अवधि के दौरान समायोजन (टीआरईएफ़ से मुख्यालय)					**0.00**
31.03.2023 तक शेष	**0.00**	**0.00**	**663.17**	**0.00**	**663.17**

(₹ लाख में)

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मांप (कर का शुद्ध) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2021 तक शेष	0.00	0.00	558.97	0.00	**558.97**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	86.26	0.00	**86.26**
अन्तरिम लाभांश	0.00	-		-	**0.00**
अंतिम लाभांश	0.00	-		-	-
सामान्य रिजर्व में/ के लिए अंतरण	0.00	-		-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-		0.00	**0.00**
31.03.2022 तक शेष	**0.00**	**0.00**	**645.23**	**0.00**	**645.23**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 18: उधार

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
गैर-चालू		
सावधि ऋण		
बैंक से	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर प्रतिदेय ऋण		
बैंक से		
-बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
- बैंक से अन्य ऋण	-	-
अन्य से	-	-
दीर्घावधि उधार की वर्तमान परिपक्वता	-	
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी -19: व्यापार देनदारियां

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	-	-
कुल	-	-

व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया

क) मूलधन और ब्याज राशि बकाया है लेकिन वर्ष के अंत तक देय नहीं है।	-	-
ख) सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 की धारा -16 के संदर्भ में अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज (जिसका भुगतान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम - 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है।)	-	-
घ) अर्जित ब्याज और वर्ष के अंत तक बकाया	-	-
ड.) आगे के वर्षों में बकाया और देय ब्याज, ऐसी तिथि तक जब उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।	-	-

"व्यापार प्राप्य समय-सीमा अनुसूची"

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv)विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
बकाया देय	-	-	-	-	-

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा	-	-
बयाना राशि	-	-
अन्य	-	-
	-	-
चालू		
एमसीएल के साथ चालू खाता	139.76	107.74
सुरक्षा जमा	0.70	0.70
बयाना राशि	1.01	1.01
पूंजीगत व्यय के लिए देय	-	-
कर्मचारी लाभ के लिए देयताएँ	1.75	1.75
अन्य	5.85	5.02
कुल	149.06	116.22

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-21: प्रावधान

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
अनुग्रह राशि	-	-
कार्य निष्पादन से संबंधित भुगतान	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-22: अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
स्थगित आय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-23: अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सांविधिक बकाया राशि	0.42	0.10
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	-	-
अन्य देयताएँ	-	-
कुल	**0.42**	**0.10**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कोयले का विक्रय	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
कोयले का विक्रय (निवल) (क)	-	-
ख. अन्य संचालन राजस्व		
लदान एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
	-	-
सेवाओं से राजस्व	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी		
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (ख)	-	-
संचालन से राजस्व (क+ख)	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-25 : अन्य आय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	61.37	146.67
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय		
परिसंपत्ति की विक्रय पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड के विक्रय पर लाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
दायित्व/प्रावधान वापस लिखा गया (राइट बैक)	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
विविध आय	-	-
कुल	**61.37**	**146.67**

टिप्पणी 26: सामग्री खपत की लागत

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	-	-
लकड़ी	-	-
तेल और लुब्रिकेंट	-	-
एचईएमएम पुर्जे	-	-
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 27: तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले का प्रारम्भिक स्टॉक	-	-
कोयले का अंतिम स्टॉक	-	-
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	-	-
कार्यशाला से तैयार माल, कार्य प्रगति पर और प्रेस कार्य का प्रारम्भिक स्टॉक	-	-
अंतिम स्टॉक	-	-
ख. कार्यशाला की सूची में परिवर्तन	-	-
व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (ए+बी) (घटाव / (अभिवृद्धि))	-	-

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ व्यय

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, (भत्ते, बोनस आदि सहित) ।	26.73	16.96
भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	0.36	0.80
कुल	**27.08**	**17.77**

टिप्पणी 29: कॉर्पोरेट निगमित उत्तरदायित्व व्यय

सीएसआर व्यय	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

सीएसआर से संबंधित टिप्पणी

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित):		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	-	-
विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा उन्नयन	-	-
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के समक्ष आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	-	-
पर्यावरणीय स्थिरता	-	-
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	-	-
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध में हुई विधवाओं और उनके आश्रितों का लाभ	-	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	-	-
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं		-
झुग्गी झोपड़ियों का विकास	-	
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन		-
कुल	-	-
ख. सीएसआर व्यय ब्रेक-अप		
अवधि/वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
(ii)उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 30 : मरम्मतें		
भवन	-	-
सयंत्र एवं मशीनरी	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय		
परिवहन शुल्क	-	-
वैगन लोडिंग	-	-
संयंत्र और उपकरण भाड़े पर लेना	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत		
ब्याज पर व्यय		
छूट का अनवाईंडिंग	-	-
अन्य उधार लागत	6.61	3.49
	6.61	**3.49**
टिप्पणी 33 : प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम और दावे	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी 34 : बट्टे खाते (गत प्रावधानों का निवल)		
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव:- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाव:- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
अन्य	-	-
घटाव:- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	0.14	0.19
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन और डाक	-	-
विज्ञापन और प्रचार	-	-
वस्तु भाड़ा प्रभार	-	-
विलम्ब-शुल्क	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-
एमसीएल के सेवा शुल्क	-	-
किराया प्रभार	-	-
सीएमपीडीआईएल को परामर्श प्रभार	-	-
विधि व्यय	-	-
परामर्श शुल्क	1.30	5.44
लोडिंग शुल्क के तहत	-	-
विक्रय/अस्वीकार/सर्वे ऑफ परिसंपतियों पर हानि	-	-
लेखापरीक्षक का मानदेय और व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	1.06	1.06
कर संबंधी मामलों के लिए		
अन्य सेवाओं के लिए		
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.53	0.53
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	-	-
पुनर्वास शुल्क	-	-
किराया	-	1.20
दर और कर	-	-
बीमा	-	-
विनिमय दर में अंतर से हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	-
डेड रेंट / सरफेस रेंट	-	-
साइडिंग अनुरक्षण शुल्क	-	-
आर एंड डी व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
दान	-	-
विविध व्यय	0.51	1.56
कुल	**3.55**	**9.99**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर - व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	6.03	29.01
आस्थगित कर	-	-
पूर्व वर्ष	-	-
कुल	**6.03**	**29.01**

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(क) (i) लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मदें	0	0
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन	-	-
	-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन	-	-
	-	-
कुल (क)	-	-
(ख) (i) लाभ या हानि के रूप में पुन: वर्गीकृत किए जाने वाले मदें		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
	-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	-	-

एमएनएच शक्ति लिमिटेड

टिप्पणी 38: 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. अपरिचित मद

क) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

(₹ लाख में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
दिनांक 01-04-2022 तक प्रारम्भिक शेष					0
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	0
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से	-	-	-	-	-
ख. वर्ष के दौरान योग से	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक अंतिम शेष	-	-	-	-	-

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता			
क्रमांक.	विवरण	31.03.2023 का समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	केन्द्रीय सरकार		
	आय कर	336.43	336.43
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
	केंद्रीय विक्रय कर	-	-
	सेवा कर	0.00	0.00
	अन्य	-	-
	उप-योग	336.43	336.43
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रॉयल्टी	-	-
	पर्यावरण मंजूरी	-	-
	विक्रय कर/वैट	-	-
	प्रवेश कर	-	-
	विद्युत शुल्क	-	-
	अन्य	-	-
	उप-योग	-	-
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	-
	कंपनी के अधीन मुकदमेबाजी के विरुद्ध मुकदमा		
	अन्य		
	उप-योग	-	-
4	अन्य: (पाँच कोई)	-	-
	विविध - भूमि एवं अन्य		
	कर्मचारी संबंधित और आदि		
	उप-योग	-	-
	कुल योग	336.43	336.43

कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त के परिणाम का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1. आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए आयकर की मांग की है और इसे विरोध के तहत पेश किया गया तथा सीआईटी (अपील), संबलपुर में आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई।

II. गारंटी

दिनांक 31.03.2023 को जारी की गई बैंक गारंटी ₹ 0.00 है।

III. साख पत्र एवं आश्वासन पत्र

दिनांक 31.03.2022 के अनुसार अनुसार बकाया साख पत्र ₹ 0.00 है और आश्वासन पत्र ₹ 0.00 है।

(ख) प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं: ₹ 0.00

अन्य प्रतिबद्धताएँ ₹ 0.00.

2.2. प्राधिकृत पूंजी

(₹ लाख में)

	31.03.2023	31.03.2022
प्रत्येक ₹ 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर	10000	10000

3. संबन्धित पार्टी सूचनाएँ

i)रोजगार पूर्व लाभ निधि तथा अन्य

(क) ट्रस्ट

1) कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड

2) कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)

3) कोल इंडिया अधिवर्षिता लाभ निधि ट्रस्ट

4) गैर-कार्यकारियों के लिए संशोधित अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना

5) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट

(ख) संस्था

(क) भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) - (पंजीकृत संस्था)

(ख) कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) - (पंजीकृत सोसायटी)

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (31.03.2023 के अनुसार)

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री जे. के. बोरा (डीआईएन: 09632444)	अध्यक्ष	06-12-2021
श्री अनिल मालिक (डीआईएन:00170411)	निदेशक	20-12-2019
श्री एस.सी सुमन (डीआईएन: 09549424)	निदेशक	08-06-2022
श्री एस.के.पॉल (डीआईएन : 09034709)	निदेशक	16-01-2022
श्री ए.के .सिंह (डीआईएन: 09501892)	निदेशक	16-01-2022
श्री एम.एस.शर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	09-01-2023
श्री एस.के . देवनाथ	मुख्य वित्तीय अधिकारी	27-10-2022
श्री एम तिवारी	कंपनी सचिव	20-10-2022

(iv)प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्रमांक	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
	सकल वेतन	0	4.85
	चिकित्सीय लाभ	0	0
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0	0
ii)	रोजगार पश्चात लाभ		
	भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	0.00	0.00
iii)	समाप्ति लाभ		
	कुल	0.00	4.85

(v) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ लाख में)

क्रमांक	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	बैठक शुल्क	-	0.00

(vi) दिनांक 31.03.2023 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का बकाया शेष

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	31-03-2023	30.03-2022
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

(क)

कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां देय नहीं हैं। फर्मों या निजी कंपनियों से न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमश: देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

ख. समूह के भीतर संबंधित पार्टी लेनदेन

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ लेन-देन किया है जिसमें शीर्ष शुल्क, पुनर्वास शुल्क, पट्टा किराया, सहायक कंपनियों द्वारा रखी गई निधि पर ब्याज और चालू खाते के माध्यम से अन्य अनुषंगी कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं:

i) अनुषंगी कंपनियां

दिनांक 31.03.2023 को बकाया शेष राशि और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन"

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य (एमसीएल के साथ चालू खाते पर ब्याज और कर्मचारियों का वेतन)	चालू खाता शेष देय / प्राप्य	बकाया शेष (देय) / प्राप्य
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड						33.69	-139.76	
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड								
एनएलसी इंडिया लिमिटेड								
कुल चालू अवधि	-	-	-	-	-		-139.76	-

दिनांक 31.03.2022 के लिए बकाया शेष राशि और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन"

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष देय / प्राप्य	बकाया शेष (देय) / प्राप्य
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड						3,500.00	-107.74	
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड						750.00		
एनएलसी इंडिया लिमिटेड						750.00		
कुल चालू अवधि	-	-	-	-	-	5,000.00	-107.74	-

ग. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकांश शेयर धारण करके नियंत्रित होती है (नोट-16 देखें)। एक सरकारी इकाई होने के नाते कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन और नियंत्रक सरकार तथा एक ही सरकार के तहत अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट प्राप्त है। निम्नलिखित लेनदेन एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं के साथ सामर्थ्य मूल्य पर दर्ज किए गए हैं।

4. विविध सूचनाएं

(a) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट -2) का मसौदा तैयार किया गया है।

(b) लेखा नीति में परिवर्तन

वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए, महत्वपूर्ण लेखा नीति को खंड 2.11 अमूर्त संपत्ति और 2.17 कर्मचारी लाभ और 2.23.2 आकलन और मान्यताएँ में संशोधित/पुन: परिभाषित किया गया है। हालांकि, उपरोक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

(c) हालियाँ घोषणाएं

24 मार्च 2021 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। अनुसूची III के संशोधित डिवीजन I, II & III 1 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। कंपनी ने 2021-22 की पहली तिमाही के खातों से अपने वित्तीय विवरणों में संशोधनों को शामिल किया है।

(d) अन्य

i. 24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और आवंटन को अवैध बताते हुए 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर दिया। तालाबीरा II और III कोयला ब्लॉक, जो 204 कोयला ब्लॉकों का हिस्सा है, का भी आवंटन रद्द कर दिया गया।

ii. ii. कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने पत्र दिनांक 17 फरवरी 2016 के द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार इस कोयला ब्लॉक को नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पिछले आवंटियों में से एक) को आवंटित किया है। भूमि अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य प्रगति और अमूर्त संपत्ति के लिए इसके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए कंपनी नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के माध्यम से नए आवंटी से मुआवजा पाने की हकदार है। मुआवजा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा रहा है और इसे कंपनी द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और रेलवे साइडिंग आदि के लिए 18.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

iii पिछली अवधि/वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुन:वर्गीकृत, पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

iv वित्त वर्ष 22-23 से प्रभावी कुछ अचल संपत्तियों के उपयोगी जीवन में परिवर्तन के कारण, वर्ष के दौरान मूल्यह्रास राशि में कोई वृद्धि/कमी नहीं हुई है।

v टिप्पणी -1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, टिप्पणी 3 से 23 दिनांक 31.03.2022 तक तुलन-पत्र का हिस्सा है तथा टिप्पणी 24 से 37 उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा हैं। टिप्पणी - 38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।"

5 उचित मूल्य मापन

(क) वर्गवार वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

	31-03-2023		31-03-2022	
	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :	-	-	-	-
वरीयता शेयर	-	-	-	-
इक्विटी घटक	-	-	-	-
ऋण घटक	-	-	-	-
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-
म्युचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	2,413.49	-	2,413.49
व्यापार प्राप्य*	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य	-	1,396.05	-	1,352.85
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि		1.71		1.71
पट्टा देयताएं		-		-
अन्य दयताएं		147.35		114.51

(b) उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है।

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं को मापा	31-03-2023		31-03-2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसपत्तिया				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	0.00	-	0.00

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए दिनांक 31.03.2023 को उचित मूल्यों का प्रकटन किया जाता है।	31-03-2023		31-03-2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तिया	-	-	-	-
निवेश :	-	-	-	-
वरीयता शेयर	-	-	-	-
इक्विटी घटक	-	-	-	-

ऋण घटक	-	-	-	-
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	2,413.49	-	2,413.49
व्यापार प्राप्य*	-	-	-	-
नगद एवं नगद समतुल्य	-	1,396.05	-	1,352.85
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	-	1.71	-	1.71
पट्टा देयताएं	-	-	-	-
अन्य देयताएं	-	147.35	-	114.51

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 अनुक्रमण में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें म्यूअचल फंड शामिल है, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर रहता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उसे उपकरण स्तर 3 में शामिल किया जाएगा। यह निवेश, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देनदारियों के मामले में है।

(c) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) महत्वपूर्ण उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में किसी भी अप्रभावित उल्लेखनीय निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(ब) परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके अल्पावधि के कारण उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

कंपनी मानती है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के रुप में शामिल नहीं है। वित्त प्रावधानों को छोड़कर कंपनी का प्रदर्शन तथा करार के लिये वांछित राशि सुरक्षा जमा के साथ समाहित कर दी जाती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत हित की रक्षा करते हैं। तदनुसार सुरक्षा जमा की लेनदेन की लागत को प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा बाद में उसे परिशोधित लागत पर मापा भी जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

८ वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियाँ

कंपनी के मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी बाजार क्रेडिट, क्रेडिट जोखिम एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सहयोग प्राप्त होता है , जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला एक्सपोजर	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य तथा परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां	काल प्रभाव विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण ।
नगदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं।
बाजार जोखिम-विदेशी विनिमय	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आईएनआर में नहीं दर्शाया गया है	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डी.पी.ई. के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बोर्ड अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल जोखिम प्रबंधन हेतु लिखित रूप में सिद्धांत प्रदान करता है।

A. ऋण जोखिम

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

B. नगदी जोखिम

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखती है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदीकरण की स्थिति (जिसमें निम्नानुसार अविकसित उधार देने की सुविधाएं शामिल है) पर नियंत्रण रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरूप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. बाजार जोखिम

a) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होती है जो किसी कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय मुद्रा) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन- देन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात करती है एवं जोखिम को नियमित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

b) नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम के साथ ही कंपनी की नकदी ब्याज दर जोखिम को प्रदर्शित करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा राशि को निश्चित दर पर नाए रखने की है

कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.), क्रेडिट सीमित बैंक जमा, एवं अन्य प्रतिभूतियों के विविधिकरण से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करती है।

D) पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजीगत संरचना निम्नानुसार है :

(रु. लाख में)

	31-03-2023	31-03-2022
इक्विटी शेयर पूंजी	3,510.00	3,510.00
दीर्घावधि ऋण	-	-

7 कर्मचारी लाभ: मान्यता और माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)

कर्मचारियों को एमसीएल से प्रतिनियुक्त किया जाता है, वेतन का भुगतान मूल कंपनी द्वारा किया जाता है और आवश्यक जमा एमएनएच को हस्तांतरित किया जाता है।

8 अन्य सूचना

(a) प्रावधान

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त की गई अवधि के लिए कर्मचारी लाभ को छोड़कर भारतीय लेखांकन मानक-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और मूल्यांकन बीमांकित है, जो नीचे दिए गए हैं :

(₹ लाख में

प्रावधान	01-04-2022 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान प्रतिलेखन/ समायोजन/ भुगतान	31.03.2023 को अंतिम शेष
नोट 3: - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: :				
संपत्ति की हानि:				-
नोट 4: - पूंजीगत कार्य में प्रगति				
सी.डब्लू.आई.पी. से संबंधित :				-
नोट 5: - अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां :				
प्रावधान और हानि :				-
नोट 8: - ऋण :				
अन्य ऋण :				-
नोट 9:- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:				
अन्य जमा और प्राप्य				-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा				-
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता				-
दावे और अन्य प्राप्तियां				-
टिप्पणी 11:- अन्य चालू परिसंपत्तियां :				
राजस्व के लिए अग्रिम: :				-
सांविधिक देय राशि का अग्रिम भुगतान::				-
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम और जमा				-
टिप्पणी 13:-व्यापार प्राप्य :				
खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान:				-
नोट 21: - गैर-चालू और चालू प्रावधान :				
अनुग्रह राशि				-
कार्य प्रदर्शन संबंधित भुगतान				-
अन्य कर्मचारी लाभ				-
राष्ट्रीय कोयला वेतन अनुबंध X के प्रावधान प्रावधान				-
कार्यकारी वेतन संशोधन का प्रावधान				-

(b) प्रति शेयर आय

क्रमांक	विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
i)	इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	17.94	86.26
ii)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	3,51,00,000	65236986
iii)	प्रति शेयर मूलभूत आय तथा मन्दित आय (अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर)	₹ 0.05	₹ 0.13

(b) पट्टा

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई संपत्ति	अनुबंध वैध अवधि	प्रति वर्ष पट्टे किराया	टिप्पणियाँ

(c) बीमा और वृद्धि के दावे
प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब किया जाता है।

(d) लेखों में किए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले / नॉन-मूविंग / अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के लिए खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

(e) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।
प्रबंधन के विचार से, अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्ति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

(f) चालू देयताएं
जहाँ वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है वहाँ अनुमानित देयता प्रदान की गई है।

(g) अलग-अलग राजस्व सूचना :
नीचे दी गई तालिका भारतीय लेखांकन मानक 115, ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से अलग-अलग राजस्व प्रस्तुत करती है:

(₹ लाख में)

अलग-अलग राजस्व जानकारी:	31.03.2023 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए
वस्तु या सेवा के प्रकार		
- कोल	-	-
- अन्य	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
ग्राहक के प्रकार		
- ऊर्जा क्षेत्र	-	
- गैर-ऊर्जा क्षेत्र	-	
- अन्य या सेवाएँ	-	-
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
संविदा के प्रकार		
- एफएसए	-	
- ई-नीलामी	-	-
- अन्य		
कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		
	-	-
वस्तु या सेवा का समय	-	-
- एक समय में स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
- एक समय में स्थानांतरित की गई सेवाएं	-	-
- समय के साथ स्थानांतरित की गई सेवाएं		

(h) कोयले और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व

विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	भिन्नता
(a)चालू अनुपात: चालू अनुपात कंपनी की समग्र नगदी स्थिति को दर्शाता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के संबंध में निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू देनदारियों को चालू परिसंपत्तियों से विभाजित करके की गई है।	28.9121	36.7145	-21%
(b) ऋण इक्विटी अनुपात: . ऋण-इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। इन दोनों नंबरों को कंपनी के तुलन-पत्र में पाया जा सकता है। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित कुल ऋण के रूप में की गई है।	0.0000	0.0000	0%
(c) (ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात:: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = कर पश्चात शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन का पुनर्भुगतान "कर पश्चात शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि)" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएं शामिल नहीं हैं।	0.0000	0.0000	0%
(d) इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल: यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। अनुपात से पता चलता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी-धारकों के फंड की लाभप्रदता का उपयोग कैसे किया गया है। यह इक्विटी-धारकों के प्रतिशत रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (कर पश्चात शुद्ध लाभ कम वरीयता लाभांश, यदि कोई हो , को औसत शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित किया जाता है।)	0.0043	0.0208	-79%
(e)वस्तु-सूची आवर्त अनुपात : इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई या अवधि के दौरान बिक्री की गई वस्तुओं की लागत और अवधि के दौरान आयोजित औसत सूची के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके सहायता से कंपनी अपनी वस्तु सूची का उपयोग या प्रबंधन करती है। वस्तु-सूची आवर्त अनुपात की गणना औसत वस्तु-सूची से विभाजित करके बेची गई वस्तुओं की लागत या बिक्री के रूप में की जाती है। औसत वस्तु-सूची है (शुरुआती + अंतिम शेष / 2) जब वस्तु-सूची के प्रारम्भिक और अंतिम शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना सीओजीएस या बिक्री को वस्तु-सूची के अंतिम शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%
(f) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को इंगित करता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी शुद्ध बिक्री की गणना बिक्री रिटर्न को घटाकर कुल बिक्री के रूप में की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू देनदारियों को घटाकर चालू परिसंपत्तियों के रूप में की जाएगी।	0.0000	0.0000	0%
(g) व्यापार देय कारोबार अनुपात: यह इंगित करता है कि एक अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध लेनदारों को भुगतान हेतु नकदी की आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिए की जाती है। इसकी गणना औसत लेनदारों द्वारा शुद्ध क्रेडिट खरीद को विभाजित करके की जाती है।	0.0000	0.0000	0%

(h) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को इंगित करता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी शुद्ध बिक्री की गणना बिक्री रिटर्न को घटाकर कुल बिक्री के रूप में की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू देनदारियों को घटाकर चालू परिसंपत्तियों के रूप में की जाएगी।	0.0000	0.0000	0%
(i) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर पश्चात होगा। शुद्ध बिक्री की गणना बिक्री रिटर्न को घटाकर कुल बिक्री के रूप में की जाएगी।	0.0000	0.0000	0%
(j) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए कंपनी के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए नियोजित पूंजी अधिक कुशलता से होगी। आरओसीई = ब्याज और कर से पहले की आय / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.0073	0.0286	-74%
(k)निवेश पर प्रतिलाभ (संदर्भ: नोट-7) : निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी को उसकी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना के लिए किया जाता है। जितना अधिक अनुपात, उतना अधिक लाभ अर्जित किया गया।			
(i) गैर-सूचीबद्ध अनुषंगियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: अनुषंगियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: आरओआई = प्राप्त लाभांश/जेवी की इक्विटी में औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iii) निश्चित आय निवेश (बॉन्ड/डिबेंचर इत्यादि) पर आरओआई =ब्याज आय/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iv) म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(v) जमाराशियों पर आरओआई (आईसीडी सहित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के साथ) = ब्याज आय/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव
ह/-
(ए. के. सिंह)
निदेशक
डीआईएन: 09501892

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स बिनोद के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स के और ओर से
सनदी लेखाकार
ह/-
(सीए बिनोद कुमार अग्रवाल)
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 055209)
फर्म पंजीकरण संख्या - 320167ई
यूडीआईएन: 23055209BGXRQQ3838

ह/-
(एम.एस.शर्मा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ह/-
(जे. के.बोरा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

दिनांक: 25.04.2023
स्थान: सम्बलपुर